म-संख्या–96 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2014

बैशाख 2, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद

संख्या उ0 शि0 आयोग-44–2014-15
लखनऊ, 22 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

सा0प0नि0–35

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) की धारा 31 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार के पूर्वानुमोदन [उ0शि0आ0-14/सत्तर-3–2014-उ0शि0आ0(03)/14 लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2014] से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों की चयन प्रकिया), विनियमावली, 1983 को अधिक्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:–

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों की चयन प्रकिया) विनियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों के चयन की प्रकिया) विनियमावली, 2014 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई ज्येष्ठतम सदस्य भी है ;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार दिया गया हो, और इसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय भी है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित कोई महाविद्यालय नही है;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप शिक्षा निदेशक भी है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(छ) "प्रबंधतंत्र" का तात्पर्य, किसी महाविद्यालय के संबंध में ऐसी प्रबन्ध समिति या ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसमें महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने और संचालन करने की शक्ति निहित हो;

(ज) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय में शिक्षण देने के लिये सेवायोजित व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत प्राचार्य भी है;

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ञ) "परीक्षा समिति" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष, वरिष्ठतम सदस्य, सचिव एवं उपसचिव से है;

(ट) "लिखित परीक्षा" का तात्पर्य उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा संचालित लिखित परीक्षा से हैं;

(ठ) "शैक्षणिक अर्हता" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अर्हता से है;

(ड़) "चयन" का तात्पर्य विज्ञापन के उपरान्त लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के बाद अन्तिम चयन से है ।

अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हतायें और अनुभव इत्यादि

3–अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हताएं वही होंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी ।

रिक्तियों का अवधारण और सूचना

4–(1) प्रबन्धतंत्र वर्तमान रिक्तियों की और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना, ऐसे समय और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निदेशक को देगा। शिक्षा वर्ष का तात्पर्य एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है। निदेशक, सभी महाविद्यालयों से उसे सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अधिसूचित करेगा ।

(2) निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विज्ञापन के बाद उन पदों को एकल स्थानान्तरण विधि द्वारा भरा नहीं जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि एकल स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो यथा समय उक्त प्रकिया को आयोग के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा तथा एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद शिक्षा निदेशक द्वारा अधिसूचित पदों में सम्मिलित माना जायेगा तथा वह रिक्ति भी उसी चयन प्रकिया से आच्छादित रहेगा परन्तु यह स्पष्ट है कि चयन प्रकिया आरम्भ होने के बाद किसी भी दशा में एकल स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।

रिक्तियों की अधिसूचना, आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना और अधिमान को इंगित करना

5–आयोग रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम तीन समाचार पत्रों के तीन अंकों में करेगा एवं आयोग की बेवसाईड में भी इसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसे विज्ञापन में, अन्य बातों के साथ–साथ रिक्तियों की कुल संख्या तथा विद्यालय संबंधी अन्य विवरण जैसे महिला स्नातक तथा स्नातकोत्तर आदि दिया जायेगा। और अभ्यर्थियों के विहित प्रपत्र में आवेदन करने तथा सभी रिक्त महाविद्यालयों का अधिमानता कम में विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी जो चयनित अभ्यर्थियों के लिये बाध्यकारी होंगे :

परन्तु यदि तीन वर्ष के अन्दर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रकिया प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो उपरोक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा ।

चयन की प्रक्रिया

6–(1) आयोग प्रवक्ता एवं प्राचार्य पद हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों में अंकित विवरणानुसार अर्ह अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन करेगा –

(i) प्रवक्ता पद हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र (सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय) होगा । लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 (30 +140) एवं साक्षात्कार के लिए 30 अंक होंगे । दोनों में (200 +30) प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताकमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी ।

(ii) प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (API) के अंक एवं साक्षात्कार के अंकों को समेकित कर योग्यताकमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी । लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र (सामान्य ज्ञान एवं प्रशासनिक अभिक्षमता) होगा जिसके लिए निर्धारित अंक 100 (30 +70) होंगे, यू0जी0सी0 के मानक के अन्तर्गत ए0पी0आई0 के लिए निर्धारित 50 अंक होंगे) आयोग द्वारा स्थापित मानदण्ड, न्यूनतम स्तर और मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार ए0पी0आई0 के अंकों का निर्धारण होगा) एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित 20 अंक होंगे ।

(2) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के तीन से पाँच गुने तक जैसा आयोग उचित समझे, होगी। अन्तिम अंक (Cut off) प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।

(3) किसी अभ्यर्थी की संस्तुति हेतु साक्षात्कार बोर्ड के सभी चारों सदस्यों को जिसमें विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों का मूल्यांकन करने का बराबर का अधिकार होगा

(4) आयोग चयन किये गये अभ्यर्थियों की दो पृथक–पृथक सूचियां तैयार करेगा, एक केवल महिला अभ्यर्थियों की और दूसरी समस्त अभ्यर्थियों की (जिसके अन्तर्गत प्रथम सूची में सम्मिलित महिला अभ्यर्थी भी होंगी) "सामान्य सूची" होगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों के नाम जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से महिला महाविद्यालयों में तैनात न किये जाने का विकल्प किया हो, महिला अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। दोनों सूचियों में अभ्यर्थियों का नाम योग्यता–कम में रखा जायगा ।

(5) योग्यताकमानुसार चयन सूची तैयार करते समय यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे, लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जायेगा । दोनों के भी अंक समान होने पर क्रमशः पी0एच0डी और जे0आर0एफ0, नेट और पी0एच0डी, जे0आर0एफ0, नेट, पी0एच0डी0 को देखा जायेगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जायेंगे ।

चयन सूची

7–(1) आयोग योग्यताकमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची रिक्त पदों के सापेक्ष जारी करेगा और, निदेशक को भेजेगा । साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष प्रत्येक विषय की रिक्तियों की संख्या से यथासम्भव पच्चीस प्रतिशत अधिक, सर्वाधिक उपयुक्त पाये गये अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति भी करेगा :

परन्तु किसी दशा में एवं किसी भी स्तर पर यदि चयन दोषपूर्ण पाया जाता है तो चयन/अभ्यर्थन निरस्त करने का अंतिम अधिकार आयोग को होगा ।

(2) प्राचार्य के पद का प्रस्ताव:

(क) महिला महाविद्यालयों की स्थिति में, महिला अभ्यर्थियों की सूची के अभ्यर्थियों को किया जायगा; और

(ख) अन्य महाविद्यालयों की स्थिति में, सामान्य सूची से ऐसी महिला अभ्यर्थियों का नाम जिन्हें खण्ड (क) के अधीन पद का प्रस्ताव किया गया हो, करने के पश्चात् शेष अभ्यर्थियों को किया जायगा।

(3) उच्चतर श्रेणी में उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य के पद का प्रस्ताव अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये अधिमान को सम्यक् ध्यान में रखते हुए, योग्यता-कम में किया जायगा और निम्नतर श्रेणी के पद का प्रस्ताव योग्यता-कम में ठीक नीचे वाले अभ्यर्थियों को उसी तरह किया जायगा।

(4) उपविनियम (2) और (3) में उल्लिखित प्रकिया का अनुसरण प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के पदों के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किया जायगा।

चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की अधिसूचना

8–(1) आयोग चयन किये गये नामों की सूची अपनी संस्तुति सहित निदेशक को भेजेगा, और चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची अपने सूचना-पट्ट पर भी अधिसूचित करेगा और उसे ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) प्रबंधतंत्र शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित संस्तुति की प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुपालन करने की सूचना निदेशक और आयोग को देगा।

फीस

9–(1) प्रत्येक अभ्यर्थी चयन कर आयोजन करने, परीक्षाओं का, संचालन करने या साक्षात्कार करने के लिये आयोग को ऐसी फीस का देनदार होगा जो आयोग द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपधारा–(1) के अधीन फीस का पुनरीक्षण न किया जाँय प्रत्येक अभ्यर्थी चयन के लिए आयोग को निम्नलिखित दर पर फीस का भुगतान करेगा ।

(क) आवेदन पत्र के प्रपत्र

पद सा०/अ०पि०वर्ग	एस०सी०/एस०टी
(1) प्राचार्य 3000	2000
(2) प्रवक्ता 2000	1000

(ख) साक्षात्कार के लिये (जिसका भुगतान साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व किया जायेगा)

पद सा./अ०पि०वर्ग	एस०सी०/एस०टी
(1) प्राचार्य 1500	1000
(2) प्रवक्ता 800	400

(3)–आवेदन पत्र की फीस का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैक के माध्यम से किया जायेगा, तथा साक्षात्कार के लिए फीस का भुगतान आयोग को नकद किया जायेगा।

अवशिष्ट विषय

10–अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग ऐसे किसी विषय पर, जिसके लिये विनिर्दिष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, ऐसी रीति से कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, और उसकी सूचना सरकार को सूचना और निदेश के लिये, यदि कोई हो, देगा।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार

11–(1) आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । परीक्षा समिति के अन्तर्गत अध्यक्ष, वरिष्ठतम सदस्य, सचिव एवं उप सचिव होंगे । आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) परीक्षा समिति इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों, या आदेशों के अधीन उसे सौपें जाय।

(3) परीक्षा समिति का अध्यक्ष ऐसी परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं से संबंधित समस्त संविदायें लिखित रूप से होगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा संबंधी अभिलेख आयोग की ओर से सचिव/उपसचिव द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेंगे परन्तु अध्यक्ष के आदेश से जारी किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेख अध्यक्ष के निर्देश पर सचिव/ उपसचिव की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(5) ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध परीक्षा समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से और ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें।

(6) लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये निर्धारित अंकों में से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दिये जाने अनिवार्य होंगे तथा यथासम्भव 90 प्रतिशत तक अधिकतम अंक दिये जा सकते हैं ।

(7) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से एक बोर्ड में यथासम्भव 15 अभ्यर्थियों को एक दिन में साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में यह संख्या घट–बढ सकती है ।

(8) सचिव द्वारा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चार्ट तैयार किया जायेगा जिसमें उसके शैक्षिक अभिलेख का विवरण मात्र होगा जो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष लाटरी द्वारा पूर्ण गोपनीयता से प्रस्तुत किया जायेगा ।

परीक्षकों और प्राश्निकों (पेपर सेटर्स) इत्यादि की सूची

12–(1) परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायेगी :

परन्तु पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र होगा ।

(2) उपधारा–1 में निर्दिष्ट सूची में, यथासंभव, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृत्तिक अनुभव से संबंधित सूचना होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण होगा जिसमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

(3) परीक्षा समिति के अध्यक्ष आयोग के पूर्वानुमोदन से, उपधारा–1 में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्राश्निकों, और अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

(4) ऐसी नियुक्तियां करने में, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार से सावधानी बरती जायेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न कर दिया जाये जो किसी विश्वविद्यालय सरकार या सरकारी निकाय द्वारा अपचार का दोषी पाया गया हो या जिसके विरूद्ध अपचार के अभिकथन पर कोई जांच या अनुसंधान विचाराधीन हो, या जिसकी सत्यनिष्ठा सन्देहपूर्ण हो। कोई व्यक्ति जिसका प्रधान परीक्षक, प्राश्निकों या मूल्यांकन के रूप में कार्य आयोग द्वारा असन्तोषप्रद पाया जाय, उक्त प्रयोजन के लिए पुनः नियुक्त नही किया जायगा।

प्रश्न–पत्र निर्माण अनुसीमन एवं मुद्रण

13–(1) प्रत्येक प्रश्न–पत्र तीन भिन्न–भिन्न प्राश्निकों द्वारा जो एक ही स्थान के न हों, बनाया जायगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न–पत्र परीक्षा समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) तीनों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न–पत्रों के मुहरबन्द लिफाफे सम्बद्ध अनुसीमकों को उनसे रसीद लेकर परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये जायेंगे।

(4) अनुसीमक तीन प्रश्न–पत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक–पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगायेगा और आवरणों के पहचान का कोई चिन्ह नही लगायेगा और उन्हें परीक्षा समिति के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित परीक्षा समिति के किसी अन्य सदस्य (वरिष्ठ सदस्य को छोड़कर) को रसीद लेकर सौंप देगा।

(5) परीक्षा समिति के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित समिति के किसी अन्य सदस्य किसी विषय के किन्हीं भी दो अनुसीमित प्रश्न–पत्र को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न–पत्रों का मुद्रण करने, जिसके अन्तर्गत प्रूफ पढ़ना भी है, और परीक्षा समिति द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न–पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय प्रश्न–पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये, मुद्रणालय तथा अध्यक्ष उत्तरदायी होगा और परीक्षा समिति के अध्यक्ष ऐसी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।

ओ.एम.आर.शीट की छपाई एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन

14–(1) ओ.एम.आर. शीट की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से कराया जायेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर की हो । उसे नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि संस्था पंजीकृत हो तथा उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरूद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो, । ऐसी एजेन्सी की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य अथवा उनके द्वारा नामित परीक्षा समिति के किसी अन्य सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) द्वारा की जायेगी जो वरिष्ठतम सदस्य द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी तथा उसे कार्य की गोपनीयता से संबंधित समस्त जिम्मेदारी संस्था एवं वरिष्ठतम सदस्य की होगी ।

(i) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from July 1, of a calendar year.

(j) "Examination Committee" means the Chairman of the Commission, Senior most Member, Secretary and Deputy Secretary.

(k) "Written examination" means the written examination conducted by U.P. Higher Education Services Commission, Allahabad

(l) "Educational Qualification" means the qualification prescribed by University Grant Commission and State Government time to time.

(m) "Selection" means selection of candidate finally after written examinations and interview, in pursuance of Advertisement already made.

Qualifications and experience etc., for appointment as teacher

3. The minimum qualification for appointment a teacher shall be as prescribed by University Grant Commission and State Government , time to time.

Determination and Intimation of vacancies

4. (1) The management shall intimate the existing vacancies and the vacancies likely to be caused during the course of the ensuing academic year, to the Director at such time and in such manner, as may be prescribed.

Explanation :-The expression academic year means the period of 12 months commencing of July 1st .

The Director shall notify to the Commission at such time and in such manner as may be prescribed a subject wise consolidated list of vacancies intimated to him from all colleges.

(2) After advertise the vacancies notify from the Director of Higher Education there will be no transfer on such post. In special circumstances if any transfer made under single transfer rule that will be informed at once to the Commission necessary and the post which will be vacant due to single transfer rule will be vacant post on the place of the post filled by the single transfer rule, and will become the part of vacancies notified by Director of Higher Education earlier, but it is clear that the single transfer will not be made once the process of Selection commenced..

Notification of vacancies, submission of application and indication of preference

5. The Commission shall advertise the vacancies in three issues of at least three newspapers and detail of which shall be given in Ayog web-side. Such advertisement shall inter alia, indicate the total number of vacancies as also the number of vacancies in women's colleges and other colleges separately, like U.G. and P.G. college. It require, the candidates to apply in prescribed form and to give, the choice of the colleges in order of preference same shall be binding for selectee..

Provided that if Commission fail to initiate selection within three year of advertisement. Commission can cancel the advertisement, with right to go for fresh advertisement.

Procedure for selection

6. The Commission shall scrutinize the applications and conduct the written examination and interview of eligible candidate for the post of lecturer and Principal.

(i) Written examination for the post of lecturer shall consist one objective type question papers (General knowledge and related optional subjects of fix marks- 200 (60+140) and for interview 30 marks. Final merit list shall be prepare on the basis of marks obtained on both (200+30).

(ii) Selection for the post of Principal based on a written examination, Academic Performance Indicator (API) marks and Interview. Written examination consist one objective question paper comprising General Knowledge and administrative aptitude test of fix marks (30+70) 100 marks. For API 50 marks which shall be allotted by the Commission's guideline based on U.G.C. norms. For Interview fixed 20 marks.

Final result declared to the marks of written examination and interview.

(2) The number of candidates to be called for interview as for as possible, be between three to five times, the vacancies advertise as the Commission may consider proper. All within cut off marks shall be called for interview..

(3) For recommendation of candidates, All member including experts have equal right of evaluation.

(4) The Commission shall prepare two separate lists of selected candidates, one of the women candidates only and the other a 'general list' of all the candidates (including women candidates included in the first list). The names of women candidates who specifically opt not to be posted in women's colleges shall not be included in the list of women candidates. The names of the candidates in the two lists shall be arranged in order of merit.

(5) At the time of preparation of merit wise selected list, if more than one candidates are having the equal marks in the selection, in that circumstance firstly the criteria for selection would be marks in written examination. Even if they are equal the mark of interview, then in case further required then weight-age of J.R.F. and Ph.D. Even if situation continue NET and Ph.D. and in case further required J.R.F. then NET then Ph.D. would be basis_even if situation remain same the next criteria would be marks of Post graduation, for determination of merit.

7. (1) The commission shall be issuing the list of selected candidates in order of merit against vacant post. List shall be send to Director., Simultaneously recommending an additional list of most suitable candidate so far as twenty five percent more than the number of vacancy, in each subject against vacant post.

Provide that if any condition or any stage selection is found invalid then the Commission shall have final right to cancel the selection/candidature.

(2) The post of the Principal shall—

(a) in the case of womens colleges , be offered to the candidates in the list of women candidates, and

(b) in the other colleges, be offered to the candidates in the general list, after striking out the names of the women candidates who have been offered posts under clause (a).

(3) The posts of the Principal of degree colleges in the higher grade shall be offered in order of merit with due regard to the preference given by the candidates and the posts of the lower grade shall similarly be offered to the candidates standing next in order of merit.

(4) The procedure, mentioned in sub-regulations (2) and (3) shall, *mutatis mutandis*, be followed in respect of the posts of teachers, other than Principal.

Notifications of names of selected candidates

8. (1) The Commission Shall forward its recommendations to the Director and shall also notify the same on its notice board and publish it in such other manner as it may consider proper.

(2) The Management shall report compliance to the Commission and to the Director within one month of the receipt of the recommendations form the Director of Higher Education.

Fee

9. (1) Every candidate shall be liable to pay to the Commission such fee for holding selections, conducting examinations, or for holding interview, as may be determined by the Commission from time to time with the prior approval of the Government.

(2) Until fee is revised under sub-regulation (1), every candidate for selection shall pay to the Commission the fee at the following rates :

(a) For application form and application fee in General and OBC Rs. 3000 categories and SC/ST Rs. 2000 for Principal and Rs. 2000 in General and OBC categories and Rs. 1000 for SC/ST categories for Lecturers.

(b) For interview (to be paid before being admitted to interview) in General and OBC categories Rs- 1500 and SC/ST RS- 1000 for Principal and Rs. 800 for General and OBC categories and Rs. 400 for SC/ST categories for Lecturers.

3. The fee for interview shall be paid in cash only and the application fee shall be payable through Nationalized Bank.

Residuary matters

10. Subject to the provisions of the Act or of the Rules, or Regulations framed thereunder, the Commission may deal with any matter not specifically provided for in such manner as it deems fit and intimate the Government forth with for information and directions, if any.

Written examination and Interview

11. (1) The Examination of the Commission shall be conducted by the Examination Committee. Chairman, Senior most Member, Secretary and Deputy Secretary shall be member of the Examination Committee. Chairman of Commission, shall be Chairman of Examination Committee too.

(2) The Examination Committee shall, subject to the provision of this Regulation, perform such duties and functions as may be entrusted to him under the rules or orders, relating to the competitive examinations conducted by the Commission.

(3) The Chairman shall be responsible for the proper and timely conduct of such examinations and for maintaining and ensuring secrecy thereof.

(4) Unless otherwise prescribed, all contracts concerning such examination shall be in writing and all documents and examination records shall be authenticated by the Secretary/Deputy Secretary on behalf of the Commission. All such records shall be kept in the personal custody under the instruction of Chairman of the Secretary/Deputy Secretary, but it will be release on the instruction of the Chairman.

(5) All arrangements for the conduct of such examinations shall be made by the Examination Committee in consultation with the Chairman and in accordance with such directions as may be issued by the Commission in this behalf.

(6) Candidates require to be given at least 40% marks in interview, but maxim it could be up to 90%.

(7) At least fifteen candidate can be interview by the Board in a day. In special circumstance number of candidate may increase or decrease.

(8) The Secretary shall prepare a chart of successful candidates who appeared in written examination which shall contain the educational records only of the respective candidates. This will be presented before the interview board through lottery confidentially.

List of Examiners and paper setters etc.

12. (1) The Chairman examination Committee shall prepare for every subject, a list of persons qualified for appointment as examiners and submit the same for approval of the Commission, Such list shall be revised at least once in every two years.

Provided that a person included in the previous list shall be eligible for inclusion in the revised list.

(2) The list referred in sub-section (1) shall contain, as for as possible, information about the persons included therein in regard to their academic qualifications, teaching experience at the degree and the post- graduate levels or professional experience and, the particulars, of the earlier examinations conducted by the Commission in which they acted as examiners.

(3) The Chairman examination Committee shall, with the prior approval of the Commission, appoint Paper Setters and Moderators from amongst the persons included in the list referred to in sub-section (1)

(4) In making such appointments every care shall be taken to ensure that no person in so appointed who found guilty of misconduct by any university, Government or Government body, or against whom any inquiries or investigations is pending on allegations of misconduct, or whose integrity is doubtful. Any person whose work as Head Examiner, Paper Setter or Valuar is found to be unsatisfactory by the Commission shall not be reappointed for that purpose.

Setting Moderation and Printing of question paper

13. (1) Every question paper shall be set by three different Paper Setters, who shall not belong to the same place.

(2) Selected question papers received from paper setters shall be kept in the custody of the Chairman examination Committee.

(3) The sealed envelopes, containing question received from the three paper, setters, shall be handed over to the concerned Moderators against a receipt.

(4) The Moderators shall moderate all the three questions papers, place them in separate covers under their seal, without making any mark of identification on the cover and hand them over to the Chairman examination Committee or his nominee (excluding senior member) against a receipt.

(5) The Chairman examination Committee or his nominee from committee shall choose any of the moderated question paper of a subject without opening the sealed cover and sent it as such to the press, which shall be responsible for printing the question papers including the proof-reading, and for preparing packets of question papers for all examination centers under its seal, in accordance with information furnished by the Examination Committee.

(6) The concern press and Chairman examination Committee shall be responsible for maintaining the secrecy of the question papers, and the Chairman examination Committee shall issue necessary directions and take necessary precautions to ensure such secrecy.

Printing of OMR Sheet and Evaluation of answer sheet

14. (1) Work of Printing and evaluation of mark- sheet shall be done by any agency out side the state. It should be ensure before appointing such agency, that it should be Registered and reputed one and further nothing adverse found against said agency in any state. Appointment of such agency shall be done by Senior Most Member of Examination Committee or his nominee (excluding Chairman). Such agency will be responsible for compliance of all instruction issues by Senior Most Member. Such agency and senior most Member shall be responsible for secrecy of work done.

(2) The said agency shall go for printing and valuation of answer sheet and other work. All such document shall be handover in seal cover to senior Most Member or his nominee in examination Committee.

By order,

DR. SANJAY KUMAR SINGH,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 63 राजपत्र (हि०)–(191)–2014–599–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० शिक्षा–(192)–2014–200–(कम्प्यूटर/आफसेट)।